


मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ-भवन, भोपाल
::आदेश::

भोपाल, दिनांक 05.02.2008

क्रमांक एफ 01-31/2007/20-1: राज्य शासन द्वारा इस विभाग के आदेश क्रमांक 01-04/07/20-1, दिनांक 01.11.07 द्वारा पंचायत/नगरीय निकायों के अध्यापक संवर्ग के अमले के लिये स्वीकृत वेतन पर 26 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। दिनांक 01.12.07 से मंहगाई भत्ता 26 प्रतिशत के स्थान पर 32 प्रतिशत स्वीकृत किया जाता है।

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(के0सी0पन्त)
अवर सचिव


म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठां क्र0 एफ 01-31/2007/20-1

भोपाल, दिनांक 05.02.2008

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग की ओर इस विभाग की नस्ती पर दी गई सहमति क्र. 294/2008/नियम/चार, दिनांक 05.02.08 के संदर्भ में प्रेषित।
3. महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल
5. आयुक्त, म.प्र.शासन, जनसंपर्क विभाग को प्रकाशन हेतु प्रेषित।
6. आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र.भोपाल
7. समस्त संभागायुक्त, म.प्र.
8. समस्त कलेक्टर, म.प्र.
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका/आयुक्त, नगर निगम, म.प्र.
10. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र.
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र.
11. समस्त कोषालय अधिकारी, म.प्र.
12. अवर सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, शाखा 2,3 एवं 4 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. आर्डर बुक।


अवर सचिव

म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग